भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या:11

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना

***11. श्री चंद्र शेखर साहू:**

श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नागरिकों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर ओडिशा में, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नागरिकों के उपचार पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत ऐसी सहायता से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर ओडिशा में, कितने नागरिक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान, विशेषकर ओडिशा में, कितने निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है और उक्त विभिन्न निजी अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

दिनांक 15.01.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 79,174 करोड़ रुपये के व्यय से अस्पतालों में लगभग 6.22 करोड़ दाखिलों को अधिकृत किया गया है। इनमें से वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के बीच 59,785 करोड़ मूल्य के व्यय से अस्पतालों में 4.86 करोड़ दाखिलों को अधिकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में अधिकृत दाखिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्तीय वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 15.01.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 11,973 निजी अस्पतालों सहित कुल 27,742 अस्पताल योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए पैनलबद्ध किए गए हैं। निजी अस्पतालों में लगभग 52,207 करोड़ रुपये के व्यय से 3.37 करोड़ लोगों को भर्ती होने के लिए अधिकृत किया गया है। एबी-पीएमजेएवाई योजना ओडिशा राज्य में लागू नहीं की जा रही है, हालांकि, योजना की पोर्टेबिलिटी विशेषता के अंतर्गत अन्य राज्यों के योजना लाभार्थियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में 2 निजी अस्पतालों सहित 26 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत अस्पतालों को पैनलबद्ध करने संबंधी अस्पताल इम्पैनलमेंट एंड मैनेजमेंट (एचईएम) दिशानिर्देशों से राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को योजना के तहत अस्पतालों को पैनलबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया गया है। एसएचए को कमी वाले क्षेत्रों के लिए अस्पताल को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी मानदंडों में बदलाव करने की छूट दी गई है।

विस्तृत एचईएम दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://nha.gov.in/img/resources/Hospital-Empanelment-Guidelines-21-12-22.pdf

अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत आधिकृत अस्पताल में दाखिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्तीय वर्ष वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2018-19		वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24 (15.01.2024 तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14	58,000	150	11,58,094	311	1,02,36,710	794	2,16,52,485	695	2,60,63,932	413	1.53.45.111
आंध्र प्रदेश	1,39,925	4,15,94,11,741	5,76,991	14,09,63,00,000	7,56,406	19,08,02,00,000	11,60,904	27,15,68,00,000	15,42,183	33,38,22,00,000	12,62,734	25,43,53,61,401
अरुणाचल प्रदेश	375	75,01,500	1,234	1,97,57,457	70	16,78,125	231	37,36,180	1,019	1,84,82,093	846	1,70,18,394
असम	32,702	51,29,74,913	84,422	1,15,74,75,368	91,772	1,39,18,35,257	1,75,310	2,66,77,37,289	2,39,612	3,90,42,79,296	3,10,496	5,32,53,97,278
बिहार	18,462	16,70,27,926	1,50,567	1,38,22,39,421	84,812	76,55,02,124	1,14,882	1,35,00,47,086	2,12,504	2,29,17,53,024	1,97,009	2,25,78,27,316
चंडीगढ़	273	23,70,790	3,135	2,51,91,019	5,206	3,08,44,095	8,207	5,39,26,374	10,271	9,31,44,651	11,113	10,62,52,939
छत्तीसगढ़	2,30,971	1,82,42,88,077	6,27,786	5,60,36,58,705	4,92,288	5,14,46,01,495	8,93,285	9,62,58,80,196	12,86,731	14,85,95,25,184	10,17,055	13,86,67,07,137
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा एवं नगर हवेली	7,675	2,67,65,240	31,621	18,46,68,266	18,862	11,54,41,342	20,526	14,62,88,819	21,422	16,31,60,019	14,481	10,82,37,486
गोवा	9,723	31,68,34,320	374	1,06,97,164	139	28,72,856	167	38,00,809	407	78,68,621	1,420	85,04,614
गुजरात	3,14,087	4,53,55,88,237	11,38,567	17,05,99,62,950	8,23,589	11,32,66,54,900	5,58,564	15,97,46,99,223	9,08,184	26,23,95,63,868	8,19,523	23,01,79,20,827
हरियाणा	10,426	15,92,40,615	93,830	1,20,80,73,470	1,37,044	1,55,52,47,368	1,84,108	2,38,55,32,133	2,82,782	4,20,98,26,775	3,41,886	5,22,34,34,538
हिमाचल प्रदेश	8,238	8,61,00,051	45,089	41,71,41,240	28,394	35,24,67,427	46,548	69,43,69,380	62,142	79,69,65,530	41,316	51,49,14,646
जम्मू और कश्मीर	6,278	5,27,86,575	65,762	33,92,22,548	62,519	57,20,07,889	2,46,823	4,46,38,33,680	3,79,759	6,97,46,07,643	2,69,539	5,17,42,25,399
झारखंड	1,07,125	1,06,30,07,538	4,02,636	3,80,34,39,510	2,92,945	2,94,35,61,932	3,24,024	4,40,95,94,590	4,05,671	4,90,98,97,278	2,58,022	3,50,53,07,277
कर्नाटक	1,18,153	2,86,91,25,874	5,80,443	7,76,28,11,283	6,52,150	6,88,43,84,722	10,83,580	9,62,93,84,141	22,13,619	16,60,93,00,000	24,33,887	15,58,78,01,566
केरल	-	-	9,69,810	6,76,70,13,412	10,40,111	7,61,45,62,339	16,96,845	15,68,87,61,430	12,22,500	17,00,57,58,025	5,16,487	8,25,65,76,750
लद्दाख	-	-	-	-	-	-	505	67,07,803	5,186	8,39,27,662	4,324	6,70,42,926
लक्षद्वीप	-	-	1	1,800	-	-	64	19,40,020	401	1,17,19,130	322	92,89,411
मध्य प्रदेश	42,612	52,19,40,837	2,61,496	3,45,35,45,417	3,77,006	5,37,59,33,250	7,02,119	11,63,35,08,654	11,49,586	19,32,79,74,790	10,14,950	11,93,51,47,691
महाराष्ट्र	1,08,062	2,77,28,97,464	2,03,957	4,93,39,50,420	1,42,631	3,90,33,32,609	1,29,700	3,46,16,57,858	3,17,164	7,90,19,77,518	3,02,664	7,75,40,45,174
मणिपुर	1,459	2,72,03,099	12,527	18,91,41,389	16,330	16,44,84,595	24,050	30,90,46,978	38,866	53,78,56,671	25,853	36,39,42,076
मेघालय	1,122	71,15,011	1,24,358	93,36,72,884	1,23,680	95,44,41,138	1,45,224	1,17,33,12,963	1,85,112	1,72,73,02,809	1,28,454	1,44,74,41,269
मिजोरम	7,067	5,60,41,636	27,584	25,40,25,836	16,915	20,90,05,800	13,904	17,75,48,426	23,309	31,45,54,215	21,679	26,59,03,115
नागालैंड	262	33,27,272	10,096	13,65,14,683	7,344	10,71,67,010	5,650	11,26,28,183	12,456	26,90,13,037	21,227	45,43,34,586
पुदुचेरी	-	-	1,361	1,10,16,220	2,477	1,04,12,784	11,863	7,43,66,025	24,733	20,29,34,373	24,223	21,24,41,792

पंजाब	-	-	1,94,052	2,31,49,83,999	4,15,749	4,63,91,79,389	5,28,728	6,59,47,20,315	2,96,695	3,75,98,04,956	4,99,661	5,94,37,04,764
राजस्थान	-	-	9,25,683	5,38,89,03,873	4,18,192	2,46,86,55,573	12,34,819	8,31,58,39,855	16,40,401	17,24,81,95,311	15,90,934	16,13,52,66,799
सिक्किम	9	1,36,100	1,205	1,57,86,780	1,937	1,56,62,360	2,753	1,89,63,767	4,792	4,34,43,238	4,837	4,62,90,617
तमिलनाडु	8,05,291	10,24,51,58,363	8,15,775	10,12,87,32,387	18,94,989	8,64,29,39,095	44,94,343	16,29,64,58,376	14,19,371	13,49,88,48,486	7,90,670	10,06,46,52,579
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	2,71,016	6,28,78,44,173	5,59,443	11,55,68,83,812	4,85,617	10,19,28,38,763
त्रिपुरा	7,763	3,93,08,890	50,950	29,77,58,847	30,075	24,05,89,648	45,892	40,44,19,915	76,522	79,10,33,687	68,434	74,25,70,531
उत्तर प्रदेश	65,920	75,09,32,516	2,81,158	3,07,67,43,585	3,14,580	2,97,67,00,084	4,94,345	5,68,31,01,349	8,22,346	12,45,84,57,823	8,57,219	15,34,88,11,970
उत्तराखंड	20,321	20,69,08,058	1,24,524	1,15,95,01,009	1,12,217	1,64,08,71,366	1,81,034	4,04,23,75,654	2,58,843	5,89,78,59,780	2,50,414	5,18,89,50,797
कुल	**20,64,315**	**30,58,50,32,113**	**78,07,144**	**92,13,30,89,036**	**83,60,740**	**89,14,14,73,282**	**1,48,00,807**	**1,58,87,04,84,129**	**1,56,24,727**	**2,27,12,41,83,237**	**1,35,87,709**	**1,93,88,98,17,347**

*****